

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2020

विषय:- वेतन समिति (2016) उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अनुमन्य अगली वेतन वृद्धि की तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयांकित शासनादेश के माध्यम से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना भारत सरकार की भांति लागू की गयी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-F.No.4/21/2017-IC/E.III(I), दिनांक 31 जुलाई, 2018 एवं समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 नवम्बर, 2019 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को पदोन्नति अथवा एम0ए0सी0पी0 के नियमों के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने तथा 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई से भिन्न किसी तिथि को पदोन्नति अथवा एम0ए0सी0पी0 के नियमों के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण एवं अगली वेतन वृद्धि की तिथि नियत किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भी जारी किया जाना आवश्यक पाया गया है।

2- उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 के सम्बन्ध में मुझे निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश हुआ है:-

- (i) वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि किसी कर्मचारी की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को पदोन्नति उसके द्वारा धारित पद के साधारण वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल) में रहते हुये किसी उच्च वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल) वाले पद पर होती है अथवा ए0सी0पी0 के नियमों के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होता है और उक्त तिथि उसके निचले पे मैट्रिक्स लेवल में उसकी सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि भी है तथा उसका वेतन निर्धारण मूल नियम-22-B(1) के अनुसार इसी तिथि को किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवक को अगली वेतन वृद्धि यथास्थिति आगामी 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी को देय होगी बशर्ते उसके द्वारा इस बीच 06 माह की अर्हकारी सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण की गयी हो। ऐसे शासकीय सेवक को उक्त के पश्चात् पुनः आगामी वेतन वृद्धि 01 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद ही अनुमन्य होगी।
- (ii) वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि किसी कर्मचारी की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई से भिन्न किसी तिथि को पदोन्नति उसके द्वारा धारित पद के साधारण वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल) में रहते हुये किसी उच्च वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल) वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पद पर होती है अथवा ए0सी0पी0 के नियमों के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होता है और उसके द्वारा निचले पे मैट्रिक्स लेवल में अगली वेतन वृद्धि की देयता की तिथि से वेतन निर्धारण के लिये विकल्प दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने की तिथि को उसका वेतन निर्धारण उसे निचले पे मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की कोष्ठिका से पदोन्नति/ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल की अगली कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा, जो उसे विकल्प की तिथि तक प्राप्त होगा। विकल्प की तिथि को सर्वप्रथम उसे निचले पे मैट्रिक्स लेवल में सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि दी जायेगी तत्पश्चात् मूल नियम-22-B(1) के अनुसार उसका वेतन निर्धारण किया जायेगा। ऐसे शासकीय सेवक को इसके पश्चात् अगली वेतन वृद्धि 06 माह की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् यथास्थिति आगामी 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को अनुमन्य की जायेगी और पुनः आगामी वेतन वृद्धि 01 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने के बाद ही अनुमन्य होगी।

3- चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अतः शासकीय सेवक को, जिन्हें 01 जनवरी, 2016 को या इसके बाद पदोन्नति अथवा ए0सी0पी0 अनुमन्य किया गया है और जो मूल नियम-22-B(1) के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प चुनना/पुनः चुनना चाहते हैं, उन्हें इसके तहत विकल्प चुनने या पुनः चुनने का अवसर दिया जायेगा। ऐसा विकल्प इस शासनादेश के जारी होने के एक माह के अन्दर चुनना होगा।

4- ये आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिवा

संख्या- /2020/वे0आ0-2-258 (1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-1 एवं 11 तथा आडिट-1 एवं 11, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- (3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (6) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय (शिविर कार्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (8) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (9) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।